दैनिक जागरण सामाचार पत्र में प्रकाशित
निविदा प्रकाशन की प्रथम तिथि : 28.06.2022
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : 18.07.2022

# प्राचार्य कार्यालय,
# जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर

## निविदा की शर्त्ते (वित्तीय वर्ष 2022–23)

1. निविदा के साथ अग्रधन की राशि मशीन एवं उपकरण तथा मेडिकल बुक्स एवं जर्नलस् हेतु 25000/– (पच्चीस हजार मात्र) रूपये तथा शेष दवा रसायन, लेखन एवं विविध सामग्री, विद्युत सामग्री, खेल–कुद सामग्री हेतु मो0 5000/– (पाँच हजार मात्र) रूपये का अलग–अलग किसी राष्ट्रीकृत बैंक का अद्यतन डिमांड ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जो प्राचार्य, ज0 ला0 ने0 चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से देय हो, संलग्न करना होगा। निविदा का दर अनुमोदित होने पर अग्रधन की राशि उक्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् वापस किया जायेगा।
   निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित/ स्पीड पोस्ट से हीं निविदा भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अंतिम दिन अवकाश की स्थिति में अगला कार्य दिवस ही अंतिम दिवस माना जायेगा।
2. निविदा दो प्रतियों में तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे पर क्रमशः तकनीकि एवं वित्तीय निविदा लिखा होना आवश्यक होगा। मशीन उपकरण हेतु कम्पनी द्वारा Authorization letter तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ संलग्न सूची के क्रमानुसार ही कम्पयूटराईज टंकित प्रति की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी देना अनिवार्य होगा। सामानों की दर में किसी भी प्रकार का ओभर राईटिंग या संशोधन नहीं होना चाहिए। हस्तलिखित निविदा अस्वीकृत माना जायेगा।
   **(नोट – निविदा कम्प्यूटरीकृत कर Excel Formate में ही देना अनिवार्य होगा।)**
4. तकनीकि निविदा के साथ सामानों का नाम (मेक सहित पूर्ण विवरण के साथ) प्रतिष्ठान निबंधन, आयकर विभाग से प्राप्त पैन नं0 की छायाप्रति एवं अद्यतन क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र यथा जी0एस0टी0 निबंधन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. वित्तीय निविदा में जी0एस0टी0 तथा सामग्रियों को संस्थान तक पहुँचाने का भाड़ा सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का अन्य कर अलग से देय नहीं होगा।
6. वित्तीय निविदा में जिन सामानों का दर अंकित किया जाना है उन सामानों का दर के साथ कम्पनी का मेक स्पष्ट होना चाहिए।
7. सरकार के निदेशानुसार टैक्स (जी0एस0टी0) की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/ क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
9. यह आवश्यक नहीं होगा कि केवल न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकार किया जाए, क्रय समिति को गुणवत्ता के आधार पर अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा।
10. मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स की आपूर्तिकर्त्ता को जी0ओ0सी0 का सदस्य होना अनिवार्य होगा। अधिकतम छूट देने वाले निविदा दाता को प्राथमिकता दी जायेगी। आपूर्तिकर्त्ताओं को मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स की आपूर्ति महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में करना होगा इसके लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम अथवा अलग से किसी भी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
11. वित्तीय निविदा में मशीन उपकरण, दवा रसायानों, लेखन एवं विविध सामग्री, खेल–कूद सामग्री, सामग्री पूर्ति, उपस्कर एवं वर्दी इत्यादि का दर बाजार मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा निविदा अस्वीकृत मानी जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये क्रय समिति/ अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किया जा सकता है।
12. निविदादाताओं को निविदा की शर्त्तें एवं सामानों की सूची (मेडिकल बुक्स एवं जनलर्स, मशीन उपकरण/दवा रसायानों / लेखन एवं विविध सामग्री/ खेल–कूद सामग्री/समाग्री पूर्ति एवं उपस्कर ) प्राप्त करने हेतु अलग–अलग **मो0 1000/– (एक हजार) रूपये (Non refundable) प्रति सूची के लिये अद्यतन डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से** आवेदन के साथ जमा कर कार्यालय से कार्यकाल के दौरान प्राप्त किया जा सकता है अथवा मेडिकल कॉलेज के वेबसाईट www.jlnmcbgp.org से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके लिये 1000/– रूपये का डी0डी0 तकनीकि निविदा के साथ संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा।
13. आपूर्तिकर्त्ता को क्रयादेश निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर मशीन उपकरण, दवा रसायानों, लेखन एवं विविध सामग्री, खेल–कूद सामग्री, सामग्री पूर्ति, उपस्कर एवं मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स इत्यादि की आपूर्त्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा दूसरे आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।
14. निविदा स्वीकृत के उपरान्त सामाग्रियों की आपूर्त्ति एवं उसकी गुणवत्ता की जाँच के उपरान्त सही पाये जाने पर ही राशि की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
15. किसी भी एक मशीन एवं उपकरण का कीमत मो0 05 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
16. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भागलपुर न्यायालय होगा।

28/6/22
प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर
28/06/2022